CNR No.-UPGK010016442026

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–208/2026

प्रमोद कुमार शर्मा ––––– बनाम ––––– उत्तर प्रदेश राज्य राज्य

एवं

CNR No.-UPGK010017412026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोरखपुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–209/2026

दशरथ शर्मा व दो अन्य ––––– बनाम ––––– उत्तर प्रदेश राज्य राज्य

दिनांक 07–09–2026

पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। पूर्व नियत तिथि को प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

प्रार्थी/अभियुक्त प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–208/2026 एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दशरथ शर्मा, सीमा व अमन शर्मा द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–209/2026 इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध संख्या–584/2025 अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 351(3), 109 भारतीय न्याय संहिता व धारा–3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत आरोपित किया गया है। उपरोक्त अपराध पंजीकृत होने के पश्चात अभियुक्तगण की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या–26752/2025 प्रमोद व चार अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व दो अन्य प्रस्तुत किया गया था। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आवेदकगण व विपक्षी सं0–03 के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर दिनांक 21–11–2025 को यह आदेश पारित किया गया कि––पैरा–09 "Till the next date of listing or till the submission of police report, whichever is earlier, the petitioners shall not be arrested. The petitioners will cooperate with the investigation. In the event they fail to do so, the police shall be at liberty to approach this Court by means of an application." और माननीय उच्च न्यायालय के इसी आदेश के आधार पर इस अपराध के विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करते

हुए न्यायालय में अभियुक्तगण के विरूद्ध अरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर प्रसांन लेते हुए अभियुक्तगण की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आने के उपरान्त यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण को व्यक्तिगत बंधपत्र अथवा जमानत प्रतिभू पर छोड़ दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित विधि व्यवस्था बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अभियुक्तगण को न्यायालय में आत्मसमर्पण की आवश्यकता नहीं है।

अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर वादिनी मुकदमा प्रभावती देवी के द्वारा यह आपत्ति कागज सं0–5ख प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अभियुक्त के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष जो आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है वह गलत है, अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहिए और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित विधि व्यवस्था बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धान्त इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अतः अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत दोनो आवेदन पत्र निरस्त किए जाए।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में इस अपराध से सम्बन्धित तथ्य यह हैं कि वादिनी मुकदमा प्रभावती देवी ने थाना सहजनवॉ जनपद गोरखपुर में एक तहरीर इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थिनी का लड़का दीपक अपनी शादी ग्राम के निवासी प्रमोद पुत्र दशरथ की लड़की के संग एक वर्ष पूर्व शादी कर ली। इसी रंजिश के कारण प्रमोद, दशरथ, अमन, सतश, सीमा आदि हमेशा गाली गलौज करते थे और परेशान करते थे। दिनांक 22–10–2025 को समय लगभग 08 बजे रात्रि में सभी लोग वादिनी के दरवाजे पर गाली गुप्ता देते हुए आये और प्रमोद व दशरथ के हाथ में छड़, सतीश व अमन के हाथ में ईट व पत्थर, सीमा के हाथ में हंसिया से जान मारने की नीय से प्रार्थिनी व उसे परिवार के सदस्यों को मारने पीटने लगे। जिससे वादिनी व उसके परिवारीजन को गम्भीर चोटं आयी। वादिनी ने अपने पति का इलाज मेडिकल कालेज गोरखपुर में कराने के बाद यह आवेदन पत्र थाना सहजनवा में दिया जिस पर पुलिस द्वारा अपरध सं0–584/2025 अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 191(2), 109 भारतीय न्याय संहिता व धारा–3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया। अपराध पंजीकृत होने के पश्चात अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या–26752/2025 प्रमोद व चार अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व दो अन्य प्रस्तुत किया गया था। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदकगण व विपक्षी सं0–3 के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर उपरोक्त आदेश पारित किया गया। इस प्रकार यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि अभियुक्तगण को विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा गिरफतार किये बिना ही इस न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय

उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आवेदन धारा–528 बीएनएसएस संख्या–6400/2025 श्रीमती बच्ची देवी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व एक अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 12–08–2025 Neutral Citation no – 2025: AHC: 136034 में जो विधि व्यवस्था सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य (2022) 01 एस0सी0सी0 676 में यह अवधारित किया गया है कि आरोप पत्र दाखिल करते समय हर आरोपी को गिरफतार करने अनिवार्य नहीं है और यही विधिक सिद्धान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती बच्ची देवी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व एक अन्य में भी पारित किया गया है और जो उपरोक्त विधि व्यवस्था को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस प्रदेश के सभी न्यायालयों को अनुपालनार्थ परिचालित भी कराया गया है। जहां तक विपक्षी की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये यह तर्क कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है और धारा–109 बीएनएस में 10 वर्ष अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय है। यहां पर न्यायालय के मत में चूंकि अभियुक्तगण को बिना गिरफतारी के विवेचना पूर्ण किया गया है और अभियुक्तगण द्वारा विवेचना के समय भी विवेचक को सहयोग किया गया और न्यायालय में आरोप पत्र प्राप्त होने के उपरान्त सम्मन जारी होने पर ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ गये और उपरोक्त विधिक व्यवस्था श्रीमती बच्ची देवी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व एक अन्य में पारित सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन किया गया। इसलिए न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण से पुनः नियमित जमानत की मांग करने और नियमित जमानत की सुनवायी तक जेल प्रेषित करना यह विधिसंगत नहीं है। इसलिए विपक्षी प्रभावती देवी की तरफ से प्रस्तुत तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विधि व्यवस्था में पारित सिद्धान्तों के आलोक में आवेदकगण की तरफ से प्रस्तुत आवेदन पत्र दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–208/2026 एवं दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–209/2026 स्वीकार किया जाता है। चूंकि मामला गम्भीर प्रकृति का है यदि अभियुक्तगण से, इस प्रकार के अपराधों में बंधपत्र व जमानत प्रतिभू लिये जाते हैं, के आधार पर एक सप्ताह के अन्दर मुब0–1,00,000–1,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू न्यायालय में प्रस्तुत करे।

आवेदकगण/अभियुक्तगण सत्र परीक्षण वाद की पत्रावली में नियत दिनांक को उपस्थित हो।

आदेश की एक प्रति दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–209/2026 में रखी जाए।

दिनांक 07–09–2026

(चन्द्र मणि मिश्र)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
गोरखपुर।
J.O.Code– 6250

Digitally signed by CHANDRA MANI MISHRA
Date: 2026.09.07 15:22:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court